न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी, लालसोट जिला दौसा (राज0)

रेवेन्यु प्रकरण संख्या :– 26 / 2022 पीठासीन अधिकारी

रज्जू दिनांक : श्री मोहरसिंह मीना (आर.ए.एस.)

कजोड पुत्र रामपाल जाति माली निवासी ग्राम महारिया तहसील लालसोट जिला दौसा राज0

(प्रार्थी)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा राज0

(अप्रार्थी)

प्रार्थना पत्र वास्ते करवाये जाने पत्थरगढी

निर्णय दिनांक : 5/7/22

प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वाकै ग्राम महारिया तहसील लालसोट जिला दौसा का निवासी है। प्रार्थी की तन्हा खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि आराजी खसरा नं0 794 / 297 व खसरा नं0 800 / 420 कुल खसरा 2 कुल रकबा 18 बिस्वा भूमि वाकै ग्राम महारिया पटवार हल्का महारिया तहसील लालसोट जिला दौसा में स्थित है। उक्त आराजी से किसी भी दिगर व्यक्ति या संस्था का किसी भी प्रकार से कोई लेना देना या सरोकार वास्ता नही है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नं0 794 / 297 व खसरा नं0 800 / 420 कुल खसरा 2 कुल रकबा 18 बिस्वा भूमि वाकै ग्राम महारिया पटवार हल्का महारिया तहसील लालसोट का खातेदार काश्तकार है तथा प्रार्थी उक्त कृषि भूमि पर वर्षो पूर्व से काबिज होकर लगातार काश्त कर लाभान्वित होता आ रहा है। प्रार्थी की उक्त भूमि खसरा नं0 794 / 297 व खसरा नं0 800 / 420 कुल खसरा 2 कुल रकबा 18 बिस्वा भूमि वाकै ग्राम महारिया पटवार हल्का महारिया तहसील लालसोट जिला दौसा का सीमाज्ञान व पत्थर गढी नही होने से पडौसी खातेदारान द्वारा प्रार्थी को हैरान व परेशान किया जा रहा है जिसका पडौसी खातेदारान को किसी प्रकार का कोई हक अधिकार हासिल नही है। इसलिए प्रार्थी की भूमि की पत्थरगढी करवाया जाना आवश्यक है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मंजूर फरमाया जाकर खसरा नं0 794 / 297 व खसरा नं0 800 / 420 कुल खसरा 2 कुल रकबा 18 बिस्वा भूमि वाकै ग्राम महारिया तहसील लालसोट जिला दौसा में स्थित भूमि की जरिये पुलिस इमदाद सीमाज्ञान पत्थरगढी कायम करवाई जावें।

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज0)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड करवाया जाकर व तलबी अप्रार्थी जारी की गई। अप्रार्थी से पत्थरगढी बाबत रिपोर्ट ली गई एवं तहसीलदार लालसोट की रिपोर्ट का भी अवलोकन किया तहसील लालसोट ने अपनी रिपोर्ट मे विवादित आराजी खसरा नं0 794/297 व खसरा नं0 800/420 कुल खसरा 2 कुल रकबा 18 बिस्वा भूमि वाकै ग्राम महारिया तहसील लालसोट जिला दौसा की भूमि वर्तमान मे मौके पर खाली होना अंकित किया जिससे वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पत्थरगढी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पत्थरगढी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लालसोट को आदेश दिये जाते है कि दो कुशल गिरदावर/पटवारीयान की टीम गठित कर आराजी खसरा नं0 794/297 व खसरा नं0 800/420 कुल खसरा 2 कुल रकबा 18 बिस्वा भूमि वाकै ग्राम महारिया तहसील लालसोट जिला दौसा वाली भूमि का पहले सीमाज्ञान कर पत्थरगढी कायम करावे तथा आवश्यकता पडने पर पुलिस इमदाद प्राप्त करें साथ ही नियमानुसार राजकीय शुल्क प्रार्थी से प्राप्त करें। इस आशय की तहसीलदार लालसोट को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 5/7/22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मोहरसिंह मीना)
उपखण्ड अधिकारी लालसोट

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०)